न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 22/2019 अपील/प्रतापगढ़

पंजीयन दिनांक– 05.08.2019

निर्णय दिनांक– 18.10..2019

श्री अमृतलाल पिता श्री हरिराम आंजना निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मनोहरलाल पिता भेरूलाल आंजना निवासी केसून्दा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
2. श्री भंवरलाल पिता नारायणलाल आंजना निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
3. श्री गणपतलाल पिता टेकचन्द आंजना निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री पी0सी0पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
प्रकरण संख्या 46/2018 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 03.06.2019

निर्णय

दिनांकः 18.10.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ प्रकरण संख्या 46/2018 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 03.06.2019 के विरूद्ध दिनांक 02.08.2019 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गोमाना तहसील छोटीसादड़ी में स्थित आराजी नम्बर 862 व 870 भूमि की पत्थरगढ़ी हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 (अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट)

श्री मनोहरलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पत्थरगढ़ी कराये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.06.2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी भूमि के पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। अधिवक्ता अपीलान्ट श्री पी0सी0पालीवाल की दिनांक 03.10.2019 को एकतरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों का ही दौहराव करते हुए बताया कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा हाल ही में क्रय की गई है। उक्त वर्णित आराजी का क्षेत्रफल सेटलमेन्ट के दौरान अपीलान्ट का कम कर बढा दिया गया है। पुरानी जमाबन्दी अनुसार रकबा बराबर करने के लिए अपीलान्ट द्वारा समुचित कार्यवाही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी, जिससे इस आराजी के संबंध में पक्षकारों के बीच विवाद होने की वजह से पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार नहीं कराया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली में सुनवाई कर दी गई, जिसकी कार्यवाही प्रक्रिया अनुसार नहीं अपनाई गई एवं गैर कानूनी आदेश पारित कर दिये । पक्षकारों में सीमा विवाद होने पर यह स्पष्ट प्रावधान है कि लेण्ड रेकार्ड ऑफिसर अर्थात् उपखण्ड अधिकारी सर्वप्रथम सीमा विवाद तय करेगा, जिसका आधार सर्वे मैप्स को बनाया जायेगा एवं सर्वे मैप्स उपलब्ध नहीं हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमा ज्ञान कराया जावेगा। धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विवाद न हो और केवल सीमा ज्ञान कराना हो, वहां लेण्ड रेकार्ड ऑफिसर धारा 111 के प्रावधानों के तहत सीमा ज्ञान करायेगा। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। पत्रावली दिनांक 19.06.2018 को बहस सुनी जाकर दिनांक 21.06.2018 को नियत की गई। दिनांक 21.06.2018 को कोई आदेश प्रदान नहीं किया गया एवं न ही आगामी पेशी नियत की गई और अचानक पत्रावली दिनांक 06.05.2019 को सीगा से तलब कर आगामी कार्यवाही कर पत्रावली पर आदेश प्रदान कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित विक्रय पत्र प्रस्तुत हुए बिना एवं उसमें उल्लेखित तथ्यों को देखे बिना आदेश प्रदान किया गया

है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.06.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित है, अतः अपीलान्ट को अपना अपील प्रकरण स्वयं सिद्ध करवाना है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी की खातेदारी की आराजी के सीमांकन/पत्थरगढ़ी का आदेश अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जो उज्र उठाये गये है, उनमें प्रमुख तथ्य यह है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट आवेदक की भूमि का रकबा गत सेटलमेन्ट के मुकाबले बढा दिया गया है, जिसकी कानूनी कार्यवाही का प्रकरण उसके द्वारा पेश कर दिया गया है, हालांकि ऐसा कोई इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण का विवरण या साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, परन्तु यदि प्रस्तुत भी कर दिया गया है तो भी जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय ने कथन किया है कि धारा 111(1) रा.भू.रा., 1956 के तहत भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा सीमांकन करने से ही तथ्य स्पष्ट होगें एवं तद्नुसार इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण के लम्बित होने अथवा उस पर सीमांकन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ना के तथ्य मान्य नहीं है। हमारी मान्यता में सीमांकन से तथ्यों की और स्पष्टता बढेगी। अपीलान्ट का अन्य उज्र यह है कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार अपीलान्ट विपक्षी ने अपनी ओर से साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये है तथा बहस भी की है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय आख्यापक रूप से विवेचन कर तर्क सम्मत एवं विधिपूर्ण रूप से निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक रेकर्डेड खातेदार के लिए सीमांकन/पत्थरगढ़ी का निर्णय पारित किया है, जिससे प्रथम दृष्टया अपीलान्ट को इस स्तर पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभावित नहीं होता, अपितु किसी भी अन्य विवाद के विद्यमान होने की संभावना पर यह सीमांकन वस्तुस्थिति प्रकट करने में सहायक ही सिद्ध होगा। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर